

Order sheet [Contd]

case No: B.A. - 322 / 17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12-09-17 04:30 to 04:45 pm	<p>आवेदक जैकी उर्फ जयकुमार द्वारा श्री मुंशीसिंह यादव अधिवक्ता उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>थाना मौ के इस्तगासा क्र0-02/2017 अंतर्गत धारा-41 (1)4 द. प्र.सं. व 379 भा.दं.वि0 के संबंध में विचारण न्यायालय का मूल अपराधिक प्रकरण क्रमांक 455/17 का मूल अभिलेख एवं थाना मौ की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक जैकी उर्फ जयकुमार के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दप्रस के साथ उसके भाई दीपक यादव का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथ पत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का 439 दप्रस का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र है। समान प्रकृति का कोई अन्य आवेदन किसी अन्य समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही निरस्त किया गया है। मूल अभिलेख से भी ऐसा ही प्रकट है।</p> <p>जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है वह 27 वर्षीय नवयुवक है। जेल में रहते हुए तीन चार माह का समय व्यतीत हो गया है और अधिक जेल में रहने से उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उसका जीवन बरबाद हो जाएगा। जब कि अपराध आजीवन कारावास एवं मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। जमानत पर रिहा होने पर आवेदक कहीं भाग कर नहीं जायेगा और अभियोजन साक्ष्य प्रभावित नहीं करेगा। प्रकरण में अनसंधान पूर्ण होकर अधीनस्थ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया है और आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा अभिलेख एवं कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक-05/07/2017 को अन्य अपराध क्र0-166/2017 में संदेही जैकी उर्फ जयकुमार से पूछताछ करने पर उसने अपने पास दो मोटरसाइकिल अपाचे व पल्सर होना बताया, आवेदक/अभियुक्त जैकी उर्फ जयकुमार को गिरफ्तार किया गया, उसके आधिपत्य से उसके घर वार्ड नंबर-3, लुहार मोहल्ला मौ से दो मोटरसाइकिल एक पल्सर व एक अपाचे रजिस्ट्रेशन नंबर की प्लेट के बिना पायी गयी, जिन्हें जब्त किया</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>गया। इस्तगासा क्र0-02/2017 अंतर्गत धारा-41 (1)4 द.प्र.सं. व 379 भा.दं.वि0 पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>दौराने अनुसंधान उक्त दोनों मोटरसाइकिल के संबंध में आर.टी0. ओ. कार्यालय से जानकारी लेने पर एक मोटरसाइकिल अपाचे रजि.क्र. -एम.पी.-07 एम.व्ही.-9809 नाथूराम शर्मा के नाम दर्ज है। दूसरी मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी प्राप्त होना है। केस डायरी के साथ आवेदक का आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदक जैकी उर्फ जयकुमार के विरुद्ध तीन प्रकरण चोरी के, एक प्रकरण आयुध अधिनियम का, एक प्रकरण धारा-34 म.प्र. आबकारी अधिनियम का, दो प्रकरण मारपीट के, तथा एक प्रकरण म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम का है। आवेदक से जो दो मोटरसाइकिल जब्त की गयी हैं, जिससे स्पष्ट है कि समूह में चोरी की गयी है। आवेदक का आपराधिक इतिहास भी है।</p> <p>आवेदक की ओर से प्रमुख आधार यह लिया गया है कि आवेदक अधिक अवधि से निरोध में है और अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक के प्रथम जमानत आवेदन का निराकरण गुणदोष के आधार पर इस न्यायालय द्वारा किया जा चुका था। अभियोगपत्र का प्रस्तुत किया जाना परिस्थितियों का सारभूत परिवर्तन नहीं है। द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने के कोई आधार प्रकट नहीं होते हैं। अतः आवेदक का जमानत आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है।</p> <p>इस आदेश की प्रति मूल अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय की ओर भेजी जावे।</p> <p>प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार में जमा हो।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	